

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुन्दू (राँची)

RM वाद संख्या-77/2020-21

छोटानागापुर कास्टकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

ललित कुमार वगैरह बनाम पुष्पा देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

1.ललित कुमार, 2.दीपक कुमार दोनो के पिता-स्व० राम चरण हजाम, ग्राम-जरगा वोंगेवेड़ा, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, जाति-हजाम (नाई) पेशा-कृषि।

क्रेता का नाम एवं पता -

पुष्पा देवी पति-श्री पीताम्बर ठाकुर, ग्राम-वारेडीह, पो०-वारेडीह, थाना-बुन्दू, जिला-राँची, जाति-हजाम (नाई) पेशा-गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-06/10/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता पुष्पा देवी पति-श्री पीताम्बर ठाकुर, ग्राम-वारेडीह, पो०-वारेडीह, थाना-बुन्दू, जिला-राँची, जाति-हजाम (नाई) पेशा-गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बुन्दू	बुन्दू/28	120	2639	04 डी० चौहद्दी:- उ०-प्रस्तावित रास्ता। द०-विक्रेता नीज। पू०-प्रस्तावित रास्ता। प०-ब्रजेश लायेक।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-08 दिनांक-04/01/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत पंच कौड़ी नायक वगैरह के नाम से दर्ज है।
- (2) विक्रेता पंजी-II रैयत के पुत्र है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम राम चरण हजाम है। तथा रैयत के पास प्रस्तावित खाता में रकबा-0.12 डी० खरिदगी भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2007-08 तक वसूली गयी है।
- (5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता-पुत्र का है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि शेष बचता है।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो पिछड़ी जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता 1.ललित कुमार, 2.दीपक कुमार दोनो के पिता-स्व० राम चरण हजाम, ग्राम-जरगा वोंगेवेड़ा, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, जाति-हजाम (नाई) पेशा-कृषि, को क्रेता पुष्पा देवी पति-श्री पीताम्बर ठाकुर, ग्राम-वारेडीह, पो०-वारेडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-हजाम (नाई) पेशा-गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-06/10/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता 1.ललित कुमार, 2.दीपक कुमार दोनो के पिता-स्व० राम चरण हजाम, ग्राम-जरगा वोंगेवेड़ा, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची, जाति-हजाम (नाई) पेशा-कृषि, को क्रेता पुष्पा देवी पति-श्री पीताम्बर ठाकुर, ग्राम-वारेडीह, पो०-वारेडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-हजाम (नाई) पेशा-गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
बुन्दू	बुन्दू/28	120	2639	04 डी० <u>चौहद्दी:-</u> उ०-प्रस्तावित रास्ता। द०-विक्रेता नीज। पू०-प्रस्तावित रास्ता। प०-ब्रजेश लायेक।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।
४-१९/०१

बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।
४-१९/०१

बुण्डू।